रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग —खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 165] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 1972/ज्येष्ठ 30, 1894
No. 165] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 1972/JYAISTHA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

*New Delhi, the 20th June, 1972*

**G.S.R. 317(E).**—The following Order made by the President is published for general information—

THE MANIPUR LEGISLATIVE ASSEMBLY (HILL AREAS COMMITTEE) ORDER, 1972.

In exercise of the powers conferred by article 371C of the Constitution, I, V. V. Giri, President of India, hereby make, with respect to the State of Manipur, the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Manipur Legislative Assembly (Hill Areas Committee) Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In this Order,—

(a) "Assembly" means the Legislative Assembly of the State;

(b) "Governor" means the Governor of the State;

(c) "Hill Areas" means the areas specified in the First Schedule;

(d) "Hill Areas Committee" means the Hill Areas Committee constituted by paragraph 3 of this Order;

(e) "Schedule" means a schedule appended to this Order;

(f) "Scheduled matters" means the matters specified in the Second Schedule;

(g) "Speaker" means the Speaker of the Assembly;

(h) "State" means the State of Manipur.

3. **Constitution of the Hill Areas Committee.**—(1) There shall be a Hill Areas Committee of the Assembly consisting of all the members of that Assembly who for the time being represent the Assembly constituencies situated wholly or partly in the Hill Areas of the State:

Provided that the Chief Minister of the State and the Speaker shall not be members of the Hill Areas Committee.

(2) Every Minister (including a Minister of State or a Deputy Minister) of the State shall have the right to speak in, and otherwise take part in the proceedings of, the Hill Areas Committee, but shall not, by virtue of such right, be entitled to vote at any meeting of the Committee if he is not a member thereof.

4. **Functions of the Hill Areas Committee.**—(1) All scheduled matter in so far as they relate to the Hill Areas shall be within the purview of the Hill Areas Committee.

(2) Every Bill, other than a Money Bill, affecting wholly or partly the Hill Areas and containing mainly provisions dealing with any of the schedued matters shall, after introduction in the Assembly, be referred to the Hill Areas Committee for consideration and report to the Assembly:

Provided that if any question arises whether a Bill attracts the provisions of this sub-paragraph or not, the question shall be referred to the Governor and his decision thereon shall be final.

(3) The Hill Areas Committee shall have the right to consider and pass resolutions recommending to the Government of the State any legislation or executive action affecting the Hill Areas with respect to any scheduled matter, so however that the executive action relates to general questions of policy and the legislation or executive action is in conformity with the over-all financial provisions for the Hill Areas made in the annual budget or contemplated in the Plans of the State.

(4) The Hill Areas Committee shall have the right to discuss the annual financial statement in so far as it relates to the Hill Areas and to facilitate such discussion the said statement shall, as far as may be practicable, show separately the estimates of receipts and expenditure pertaining to the Hill Areas which are to be credited to, or is to be met from, the Consolidated Fund of the State.

(5) In its functioning, the Hill Areas Committee shall endeavour to—

(a) safeguard the interests of the people of the Hill Areas, particularly through accelerated development of those areas; and

(b) promote unity between the people of the Hill Areas and other areas of the State by aiming at an integrated and evenly based economic growth of those areas and augment the resources of the State as a whole.

5. **Special provisions with regard to Bills affecting the Hill Areas.**—Any Bill referred to the Hill Areas Committee under sub-paragraph (2) of paragraph 4 may, if so recommended by the Hill Areas Committee, be passed by the Assembly with such variations as may be necessary in its application to the Hill Areas.

6. **Development Plans.**—(1) Before the Five Year Plan and the Annual Plans of the State are finalised by the Government of the State proposals in this behalf, which shall show separately the plan schemes proposed to be taken up in the Hill Areas and the rest of the State, shall be placed before the Hill Areas Committee and the views of the Committee shall be taken into account before the Plans are finalised.

(2) The Government of the State shall forward to the Hill Areas Committee quarterly reports showing the progress of implementation of the Plans relating to the Hill Areas.

7. **Modifications in the Rules of Business of the Government of Manipur.**—The modifications directed in the Third Schedule shall be made in the Rules of Business of the Government of Manipur, 1972 and shall not in any way be affected by any

amendments that may hereafter be made in the said Rules by the Governor under article 166 of the Constitution, otherwise than with the approval of the President.

8. **Modifications in the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Manipur Legislative Assembly.**—The modifications directed in the Fourth Schedule shall be made in the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Manipur Legislative Assembly, 1964, as adapted under sub-section (6) of section 27 of the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971) and the modifications so directed and the provisions of Rules 141 to 145 and 170 to 184 in the said Rules shall not in any way be affected by any amendments that may hereafter be made in the said Rules by the Assembly under article 208 of the Constitution, otherwise than with the approval of the President.

9. **Special responsibility of the Governor.**—The Governor shall have special responsibility for securing the proper functioning of the Hill Areas Committee in accordance with the provisions of this Order and shall, in the discharge of his special responsibility, act in his discretion.

THE FIRST SCHEDULE

[*See* paragraph 2(C)]

*Hill Areas*

(1) Manipur North, Manipur East, Manipur West and Manipur South revenue districts.

(2) Chandel, Chakpikarong and Tengnoupal revenue sub-divisions of the Manipur Central revenue district.

*Explanation.*—Any reference to a revenue district or revenue sub-division in this schedule shall be construed as a reference to the area comprised within that district or sub-division, as the case may be, on the 1st day of April, 1972.

THE SECOND SCHEDULE

[*See* paragraph 2(f)]

*Scheduled Matters*

(1) Development and economic planning within the Plan allocations for the Hill Areas.

(2) Constitution and powers and functioning of District Councils in the Hill Areas.

(3) The allotment, occupation, or use, or the setting apart of land (other than any land which is a reserved forest) for the purposes of agriculture or grazing or for residential or other non-agricultural purposes or for any other purpose likely to promote the interests of the inhabitants of any village or town situated within the Hill Areas:

Provided that nothing in this item shall apply to lands acquired for any public purpose or the acquisition of land, whether occupied or unoccupied, for any public purpose in accordance with any law for the time being in force authorising such acquisition.

(4) The management of any forest not being a reserved forest.

(5) The use of any canal or water course for purposes of agriculture.

(6) The regulation of the practice of **jhum** or other forms of shifting cultivation

(7) The establishment of village committees or councils and their powers; and any other matter relating to village administration.

(8) Public health and sanitation.

(9) The appointment of succession of Chiefs or Headman.

(10) The inheritance of property.

(11) Marriage and divorce.

(12) Social customs.

(13) Any other matter which the Assembly may by resolution declare to be a matter which shall come within the purview of the Hill Areas Committee.

THE THIRD SCHEDULE

[See paragraph 7]

*Modifications in the Rules of Business of the Government of Manipur*, 1972.

(1) In rule 2, after clause (c), *insert*—

"(cc) "Hill Areas Committee" means the Hill Areas Committee constituted by paragraph 3 of the Manipur Legislative Assembly (Hill Areas Committee) Order, 1972;".

(2) *After* rule 12, *insert*—

"12A. The Council shall normaly give effect to the recommendations of the Hill Areas Committee under sub-paragraph (3) of paragraph 4 of the Manipur Legislative Assembly (Hill Areas Committee) Order, 1972 but if the Council is of the opinion that it would not be expedient to do so or that the Hill Areas Committee was not competent to make any such recommendations, the matter shall be referred to the Governor whose decision thereon shall be final and binding on the Council and action shall be taken accordingly."

(3) In rule 55, *after* clause (xxii), *insert*—

"(xxiii) all matters relating to the Hill Areas Committee, including resolutions passed by it."

(4) In the Schedule, *after* entry 25, *insert*—

"26. All matters relating to the Hill Areas Committee including resolutions passed by it"

THE FOURTH SCHEDULE

[*See* paragraph 7]

*Modifications to the Rules of procedure and conduct of Business of the Manipur Legislative Assembly*, 1964.

(1) In rule 3(1),—

(i) for the definition of the expression "Hill Areas", substitute—

'"Hill Areas" means the Hill Areas specified in the First Schedule to the Manipur Legislative Assembly (Hill Areas Committee) Order, 1972;"

(ii) after the definition of the expression "Hill Areas", insert—

"Hill Areas Committee" means the Hill Areas Committee constituted by paragraph 3 of the Manipur Legislative Assembly (Hill Areas Committee) Order, 1972;';

(iii) after the definition of the word "Resolution", insert—

'"scheduled matters" means the matters specified in the Second Schedule to the Manipur Legislative Assembly (Hill Areas Committee) Order, 1972;';

(iv) omit the definition of the expression "Standing Committee".

(2) In Chapters—XIV and XV, for the expression "Standing Committee", wherever it occurs, *substitute* the expression "Hill Areas Committee."

(3) In rule 139, for "the provisions hereinafter made in relation to the Bills relating to Hill Areas shall apply to all such Bills", substitute "the provisions hereinafter made in relation to the Bills, other Money Bills, affecting the Hill Areas and containing mainly provisions dealing with any of the scheduled matters, shall apply to all such Bills.".

(4) *For* rule 140, *substitute*—

"140. Motion for introduction of Bills affecting the Hill Areas.—When a Bill, other than a Money Bill, affecting the Hill Areas' and containing mainly provisions dealing with any of the scheduled matters introduced or

on some subsquent occasion, the member-in-charge may make the following motion in regard to his Bill, namely:—

"That it be referred to the Hill Areas Committee."

Provided that no such motion as aforesaid shall be made by any member other than the member-in-charge except by way of amendment to the motion made by the member-in-charge."

(5) *after* Rule 157, *insert*—

"157A(1) When a Bill as reported by the Hill Areas Committe is not passed by the Assembly in the form in which it has been reported but is passed in a form which, in the opinion of the Speaker, is substantially different from that as reported by the Hill Areas Committee, or is rejected by the Assembly, the Speaker shall submit to the Governor—

(a) in any case where the Bill has been passed by the Assembly in a substantially different form, the Bill as passed by the Assembly together with the Bill as reported by the Hill Areas Committee;

(b) in any case where the Bill is rejected by the Assembly, the Bill as reported by the Hill Areas Committee.

(2) When a Bill is not approved by the Hill Areas Committee but is passed by the Assembly, the Speaker shall submit to the Governor the Bill as passed by the Assembly together with the report of the Hill Areas Committee.

(3) The Governor shall as soon as possible after the submission to him of the Bill, return the Bill to the Assembly with a message recommending either that the Bill be withdrawn or that it be passed in the form in which it has been reported by the Hill Areas Committee or in the form in which it has been passed by the Assembly and the message received from the Governor shall be reported by the Speaker to the Assembly and accordingly the Bill shall be deemed to have been withdrawn, or as the case may be, be deemed to have been passed by the Assembly in the recommended by the Governor.".

NEW DELHI-4,
*The 20th June*, 1972.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 11/17/72-SR.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1972

**सा०का०नि० 317 (अ).**—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है ।

मणिपुर विधान सभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972

संविधान के अनुच्छेद 371 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, व० वें० गिरि, भारत का राष्ट्रपति, मणिपुर राज्य के बारे में निम्नलिखित आदेश एतद्द्वारा करता हूं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश का नाम मणिपुर विधान सभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972 होगा ।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगा ।

2. **परिभाषाएं** —इस आदेश में,—

(क) "सभा" से राज्य की विधान सभा अभिप्रेत है ;

(ख) "राज्यपाल" से राज्य का राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(ग) "पहाड़ी क्षेत्रों" से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(घ) "पहाड़ी क्षेत्र समिति" से इस आदेश के पैरा 3 द्वारा गठित पहाड़ी क्षेत्र समिति अभिप्रेत है ;

(ङ) "अनुसूची" से इस आदेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूचित मामलों" से द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामले अभिप्रेत हैं ;

(छ) "अध्यक्ष" से सभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ज) "राज्य" से मणिपुर राज्य अभिप्रेत है ।

3. **पहाड़ी क्षेत्र समिति का गठन.**—(1) सभा की एक पहाड़ी क्षेत्र समिति, इस सभा के ऐसे सभी सदस्यों को, जो तत्समय राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्णतः या भागतः स्थित सभी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मिला कर होगी :

परन्तु राज्य का मुख्य मंत्री और अध्यक्ष पहाड़ी क्षेत्र समिति के सदस्य नहीं होंगे ।

(2) राज्य के प्रत्येक मंत्री को (जिसमें राज्य मंत्री या उपमंत्री भी सम्मिलित हैं) पहाड़ी क्षेत्र समिति में बोलने का और अन्यथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु, यदि वह उसका सदस्य नहीं है, तो समिति के किसी अधिवेशन में, ऐसे अधिकार के फलस्वरूप वह मत देने का हकदार नहीं होगा ।

4. **पहाड़ी क्षेत्र समिति के कृत्य.**—(1) सभी अनुसूचित मामले, जहां तक वे पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, पहाड़ी क्षेत्र समिति की परिधि के भीतर होंगे ।

(2) धन विधेयक से भिन्न प्रत्येक विधेयक, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर पूर्णतः या भागतः प्रभाव डालने वाला है और जिसमें अनुसूचित मामलों में से किसी मामले से सम्बन्धित मुख्य रूप से उपबन्ध अन्तर्विष्ट हैं, सभा में पुनःस्थापन के पश्चात्, पहाड़ी क्षेत्र समिति को विचार के लिए और सभा को रिपोर्ट करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई प्रश्न उद्भूत हो कि क्या कोई विधेयक इस उप-पैरा के उपबन्धों को आकर्षित करता है या नहीं, वह प्रश्न राज्यपाल को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) पहाड़ी क्षेत्र समिति को, किसी अनुसूचित मामले के बारे में पहाड़ी क्षेत्रों पर प्रभाव डालने वाला कोई विधान या कार्यपालिका कार्रवाई की राज्य सरकार को सिफारिश करने वाले संकल्पों पर विचार करने और उन्हें पारित करने का अधिकार होगा, यदि इस प्रकार की कार्यपालिक कार्रवाई नीति के साधारण प्रश्नों से सम्बन्धित हो और वह विधान या कार्यपालिक कार्रवाई पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राज्य के वार्षिक बजट में किए गए या योजनाओं में अनुज्ञात व्यापक वित्तीय उपबन्धों के अनुरूप हो ।

(4) पहाड़ी क्षेत्र समिति को वार्षिक वित्तीय विवरण पर जहां तक वह पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित है वहां तक विचार-विमर्श करने का अधिकार होगा और ऐसा विचार-विमर्श सुकर बनाने के लिए उक्त विवरण, यावतसाध्य, पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित प्राप्तियों और खर्च के प्राक्कलन को पृथक रूप से दिखलाएगा, जो राज्य के समेकित निधि को जमा करने हैं या उससे पूरे करने हैं ।

(5) अपने कृत्य करने में, पहाड़ी क्षेत्र समिति —

(क) पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के हितों की रक्षा करने का, विशिष्टतया उन क्षेत्रों के त्वरित विकास के माध्यम द्वारा ; और

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों और राज्य के अन्य क्षेत्रों के लोगों के बीच उन क्षेत्रों के एकीकृत और समानता पर आधारित आर्थिक विकास पर ध्यान देकर एकता का सन्वर्धन करने का और संपूर्ण राज्य की सम्पत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेगी ।

5. **पहाड़ी क्षेत्रों पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों के बारे में विशेषउप बन्ध.**—पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अधीन पहाड़ी क्षेत्र समिति को निर्दिष्ट किसी विधेयक, यदि पहाड़ी क्षेत्र समिति द्वारा इस प्रकार सिफारिश की गई हो, ऐसे फरफारों के साथ, जो पहाड़ी क्षत्रों को उसके लागू होने में आवश्यक हों, सभा द्वारा पारित किया जा सकेगा ।

6. **विकास योजनाएं**—(1) पंचवर्षीय योजना और राज्य की वार्षिक योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप देने के पूर्व, इस निमित प्रस्ताव, जो पहाड़ी क्षेत्रों और राज्य के अवशिष्ट भाग में लागू की जाने के लिए प्रस्तावित योजना स्कीमों को पृथक् रूप से दर्शित करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र समिति के सामने रखे जाएंगे और योजनाओं को अन्तिम रूप देने के पूर्व समिति के विचार ध्यान में लिए जाएगे ।

(2) राज्य सरकार, पहाड़ी क्षेत्र समिति को पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति दर्शित करने वाली तिमाही रिपोर्ट भेजेगी ।

7. **मणिपुर सरकार के कारबार के नियमों में उपान्तरण.**—तृतीय अनुसूची में निदिष्ट उपान्तरण, मणिपुर सरकार के कारबार के नियम, 1972 में किए जाएंगे और वे किसी प्रकार किन्हीं संशोधनों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे जो उक्त नियमों में संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन राज्य पाल द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्यथा इसमें इसके पश्चात् किए जाएं ।

8. **मणिपुर विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों में उपांतरण.**—चतुर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट उपान्तरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन यथा अनुकूलित मणिपुर विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, 1964 में किए जाएंगे और इस प्रकार निदिष्ट उपान्तरण और उक्त नियमों के नियम 141 से 145 तक और 170 से 184 तक के उपबन्ध, किसी प्रकार किन्हीं संशोधनों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे , जो उक्त नियमों में सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 208 के अधीन, राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्यथा, इसमें इसके पश्चात् किए जाएं ।

9. **राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व.**—इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्र समिति के उचित कृत्यों को सुनिश्चित करने का विशेष उत्तरदायित्व राज्य पाल पर होगा और अपने विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में, वह स्वविवेकानुसार कार्य करेगा ।

प्रथम अनुसूची

(पैरा 2 (ग) देखिए)

**पहाड़ी क्षेत्र** —

(1) उत्तरी मणिपुर, पूर्वी मणिपुर, पश्चिमी मणिपुर और दक्षिणी मणिपुर राजस्व जिले ।

(2) मणिपुर केन्द्रीय राजस्व जिले के चन्देल, चाकपिकेरोंग और येंगनोपाल राजस्व उपखण्ड ।

**स्पष्टीकरण.**—इस अनुसूची में किसी राजस्व जिले राजस्व उपखण्ड के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा मानो वह 1 अप्रैल, 1972 को यथास्थिति, उस जिले या उपखण्ड के भीतर आने वाले क्षेत्र के प्रति निर्देश है ।

द्वितीय अनुसूची

(पैरा 2(च) देखिए )

**अनुसूचित मामले** :

(1) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए योजना आवंटनों के भीतर विकास और आर्थिक योजना ।

(2) पहाड़ी क्षेत्रों में जिला परिषदों का गठन और शक्तियों और कृत्य करना

(3) कृषि या चरगाह के प्रयोजनार्थ अथवा आवासीय या अन्य कृषि-भिन्न प्रयोजनों के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिससे पहाड़ी क्षेत्रों के भीतर स्थित किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों में अभिवृद्धि संभावित है, ऐसी भूमि का, (ऐसी भूमि से भिन्न जो आरक्षित वन हैं) आवंटन अधिभोग या उपयोग अथवा पृथक् रखा जाना :

परन्तु इस मद की कोई भी बात, किसी लोक प्रयोजन के लिए अर्जित भूमि को या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार किसी लोक प्रयोजन के लिए ऐसे अर्जन को प्राधिकृत करने वाले भूमि के अर्जन को चाहे अविभोग में हो या नहीं, लागू नहीं होगी ।

(4) किसी ऐसे वन का, जो आरक्षित वन कर न हो, प्रबन्ध ।

(5) कृषि के प्रयोजनों के लिए किसी नहर या जल-प्रवाह का उपयोग ।

(6) शुभ पद्धति या परिवर्ती खेती की किसी अन्य प्रकार की पद्धति का विनियमन ।

(7) ग्राम समितियों या परिषदों का स्थापन और उनकी शक्तियों; और ग्राम प्रशासन से सम्बन्धित कोई अन्य बात ।

(8) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ।

(9) प्रधानों या ग्रामणियों की नियुक्ति या उत्तराधिकार ।

(10) सम्पत्ति की विरासत ।

(11) विवाह और विवाह-विच्छेद ।

(12) सामाजिक रूढ़ियां ।

(13) कोई अन्य बात, जो सभा, संकल्प द्वारा , ऐसी बात के रूप में घोषित करें, जो पहाड़ी क्षेत्र समिति की परिधि के भीतर आएं ।

तृतीय अनुसूची

(पैरा 7 देखिए)

**मणिपुर सरकार के कारबार के नियम, 1972 में उपान्तरण**

(1) नियम 2 में, —खण्ड (ग) के पश्चात् **अन्तः स्थापित करें.**— "(गग)" पहाड़ी क्षेत्र समिति "से मणिपुर विधान सभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972 का पैरा –3 द्वारा गठित पहाड़ी क्षेत्र समिति अभिप्रेत है ; " ।

(2) नियम 12 के पश्चात् अन्तः स्थापित करें—

"12क परिषद्, पहाड़ी क्षेत्र समिति की सिफारिशों को, मणिपुर विधान सभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972 के पैरा 4 के उप-पैरा (3) के अधीन, प्रसामान्यतः कार्यान्वित करेगी, किन्तु यदि परिषद् की राय हो कि ऐसा करना समीचीन नहीं होगा या पहाड़ी क्षेत्र समिति ऐसी सिफारिशों करने के लिए सक्षम नहीं थी, वह मामला राज्यपाल को निर्विष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा और परिषद् पर बाध्यकर होगा और तदनुसार कार्रवाही की जाएगी ।"

(3) नियम 55 में,—खण्ड (xxii) के पश्चात् अन्तः स्थापित करें—

"(xxiii) पहाड़ी क्षेत्र समिति से सम्बन्धित सभी मामले, जिन के अन्तर्गत उसके द्वारा पारित संकल्प भी हैं ।"

(4) अनुसूची में, प्रविष्टि 25 के पश्चात अन्तः स्थापित करें—

"26 पहाड़ी क्षेत्र समिति से सम्बन्धित सभी मामले, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा पारित संकल्प भी है ।"

अनुसूची 4

(पैरा 8 देखिए )

**मणिपुर विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम, 1964 का उपान्तरण ।**

(1) नियम 3(1) में,—

(i) "पहाड़ी क्षेत्र" पद की परिभाषा के स्थान पर प्रतिस्थापित करें—

"पहाड़ी क्षेत्र" से मणिपुर विधान सभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र समिति अभिप्रेत है " ;

(ii) "पहाड़ी क्षेत्र" पद की परिभाषा के पश्चात् अन्तः स्थापित करें —

"पहाड़ी क्षेत्र समिति" से मणिपुर विधान सभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972 के पैरा 3 द्वारा गठित पहाड़ी क्षेत्र समिति अभिप्रेत है ;

(iii) "संकल्प" शब्द की परिभाषा के पश्चात्, अन्तः स्थापित करें —

"अनुसूचित मामलों" से मणिपुर विधान सभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामले अभिप्रेत है ;

(iv) "स्थायी समिति" पद की परिभाषा का लोप करें ।

(2) अध्याय XIV और XV में "स्थायी समिति" पद, जहां कहीं भी आता हो, के स्थान पर "पहाड़ी क्षेत्र समिति " पद प्रतिस्थापित करें ।

(3) नियम 139 में "पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित विधेयकों के सम्बन्ध में इसमें इसके पश्चात् किए गए उपबन्ध, ऐसे विधेयकों को लागू होंगे, "के स्थान पर" धन विधेयकों से भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों पर प्रभाव डालने वाले और अनुसूचित मामलों में से किसी से मुख्य रूप से उपबन्धों को अन्तर्विष्ट करने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में इसमें इसके पश्चात् किए गए उपबंध सभी ऐसे विधेयकों को लागू होंगे ।"

प्रतिस्थापित करें ।

(4) नियम 140, के स्थान पर प्रतिस्थापित करें—

"140 पहाड़ी क्षेत्रों पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों के पुर स्थापन के लिए प्रस्ताव—पहाड़ी पर प्रभाव डालने वाला और जिसमें अनुसूचित मामलों में से किसी से सम्बन्धित मुख्य रूप से उपबंध हैं ऐसा धन विधेयक से भिन्न कोई विधेयक जब पुनः स्थापित किया जाता है या किसी पश्चात्वर्ती अवसर पर, भारसाधक सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव कर सकेगा, अर्थात् —

"कि उसे पहाड़ी क्षेत्र समिति को निर्दिष्ट किया जाए ।"

परन्तु यथा पूर्वोक्त ऐसा कोई प्रस्ताव भारसाधक सदस्य से भिन्न किसी सदस्य द्वारा , भारसाधक सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव के संशोधन के सिवाय नहीं किया जाएगा ।"

(5) नियम 157 के पश्चात्, अन्तःस्थापित करें—

"157क(1) जब पहाड़ी क्षेत्र समिति द्वारा यथा रिपोर्ट किया गया कोई विधेयक, सभा द्वारा, जिस रूप में रिपोर्ट की गई थी उस रूप में सभा द्वारा पारित न किया गया है, किन्तु ऐसे रूप में, जो अध्यक्ष की राय में पहाड़ी क्षेत्र समिति द्वारा यथा रिपोर्ट किए गए रूप से सारवान रूप से भिन्न है, पारित किया गया है या सभा द्वारा नामंजूर किया गया है, तब अध्यक्ष,

(क) किसी भी मामले में, जहां विधेयक सभा द्वारा सारतः भिन्न रूप में पारित किया गया है, वहां सभा द्वारा यथा पारित विधेयक, पहाड़ी क्षेत्र समिति द्वारा यथा रिपोर्ट की गई विधेयक के साथ ;

(ख) किसी भी मामले में, जहां सभा द्वारा विधेयक नामंजूर किया गया है, पहाड़ी क्षेत्र समिति द्वारा यथा रिपोर्ट की गई विधेयक, राज्यपाल को भेजेगा ।

(2) जहां कोई विधेयक पहाड़ी क्षेत्र समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है किन्तु सभा द्वारा पारित किया गया है, वहां अध्यक्ष सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पहाड़ी क्षेत्र समिति की रिपोर्ट के साथ राज्यपाल को भेजेगा ।

(3) राज्यपाल, अपने को विधेयक भेजने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र सभा को वह विधेयक, ऐसे संदेश के साथ, ऐसी सिफारिश करते हुए कि या तो विधेयक वापस लिया जाए या जैसा वह पहाड़ी क्षेत्र समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया है या, ऐसे रूप में, जिसमें सभा द्वारा वह पारित किया गया है, उस रूप में पारित किया जाए, वापस करेगा और राज्यपाल से प्राप्त संदेश का अध्यक्ष सभा को रिपोर्ट देगा और तदनुसार यह समझा जाएगा कि विधेयक, यथ स्थिति वापस लिया गया है या राज्यपाल द्वारा सिफारिश किए गए रूप में, सभा द्वारा, पारित किया गया है ।" ।

व० वें० गिरि,
राष्ट्रपति ।

नई दिल्ली,
20 जून, 1972

[सं० एफ० 11/17/72-एम० आर]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972